



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253227
CG-DL-E-19032024-253227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1413]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2024/फाल्गुन 29, 1945

No. 1413]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

का.आ. 1482(अ).—विनाशकारी कीट और नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 4क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के निम्नलिखित जिलों से भारत के अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक विशेष शर्तों* के साथ आलू बीज कंदों की आवाजाही की अनुमति प्रदान करती है।

क्र. सं.	राज्य/जिला	स्थान	विशेष शर्त*
हिमाचल प्रदेश			i) आईसीएआर-सीपीआरआई, शिमला द्वारा विकसित प्रोटोकॉल के अनुसार सिस्ट-संक्रमित आलू कंदों को 2% की दर से 30 मिनट तक सोडियम हाइपोक्लोराइट (एनएओसीएल) के साथ परिशोधित किया जाता है, जो सिस्ट को कंद की सतह से पूरी तरह हटाकर और उन्हें पूरी तरह से विघटित करता है।
1.	शिमला	खदराला	
		उमलाद्वार	
		सारापानी	
		खारापानी	

		तत्तापानी	<p>ii) नेमाटोइस की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, उपचार के दौरान पर्यवेक्षण और उपचारोपरान्त निरीक्षण।</p> <p>iii) आलू सिस्टनेमाटोड के प्रवेश, स्थापना और संक्रमण को रोकने हेतु इसकी अनुपस्थिति/उपस्थिति की जांच के लिए मृदा का नमूनाकरण और सिस्टनेमाटोड का पृथक्करण।</p> <p>iv) आलू सिस्टनेमाटोड के जोखिम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, फ़रीदाबाद को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।</p> <p>v). पर्यावरण और मृदा सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा हेतु बचे हुए सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाना।</p>
		हंसतारीतीर	
		पोनीधर	
		देवरीघाट	
		खारापठार	
		केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, कुफरी	
		केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, फागू	
		रोहड़ू ब्लॉक	
		चौपाल ब्लॉक	
		जुब्बल ब्लॉक	
2.	सिरमौर	खेराधर	
3.	मंडी	फुलाधर	
4.	चंबा	अहला	
5.	कुल्लु	चौवाई	
6.	कांगड़ा	राजुंडा	
उत्तराखंड			
1.	पिथौरागढ़	बलाती, मुनस्यारी	
		टिकसैन, मुनस्यारी	
		सरकारी आलू फार्म, बलाती	
		सरकारी आलू फार्म, टिकसैन	
2.	टिहरी	रानी चौरी, वानिकी फार्म महाविद्यालय	
		बागवानी फार्म, धनौली	
		कृषि फार्म धनौली	
3.	चमोली	सरकारी आलू फार्म, रमानी	
4.	अल्मोड़ा	पटोरिया	
5.	नैनीताल	मल्लारामगढ़ फार्म	
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	रामबन	नत्थाटॉप	
2.	राजौरी	कंडीबुद्धल	
3.	शोपियां	सेडू	
		सरकारी आलू बीज विकास फार्म, गांव छोटीपोरा के पास, सेड्यू, शोपियां	

4.	जम्मू	सरकारी आलूबीज उत्पादन फार्म, नत्थाटॉप, जम्मू	
		आलू बीज विकास फार्म, कंडी बुद्धल	

[फा. सं. 8-144/2018-पीपी-II]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के का. आ. संख्या 5280 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसे दिनांक 02.11.2018 के का.आ. संख्या 5642 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department Of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2024

S.O. 1482(E).—In exercise of the powers conferred by section 4A of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby permitting the movement of potato seed tubers with special conditions* with effect from the date of publication of this notification, from the following districts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir to all other states/ UT of India.

S.No.	State/District	Locality	Special Condition*
Himachal Pradesh			
1.	Shimla	Khadrala	i) Decontamination of cyst-infested potato tubers with sodium hypochlorite (NaOCl) @ 2% for 30 minutes which removes all the cyst from the tuber surface and completely disintegrates them according to the protocol developed by ICAR-CPRI, Shimla. ii) Regular inspection, supervision of treatment and post treatment inspection to ensure the absence of nematodes. iii) Soil sampling and isolation of cyst nematodes for its absence/presence to prevent the entry, establishment, and spread of the Potato Cyst Nematode. iv) Submission of quarterly report to Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad for regular monitoring and assessment of the risk of Potato Cyst Nematode. v). The left over sodium hypochlorite solution should be disposed of scientifically to safeguard the environment and soil micro flora.
		Umladwar	
		Sarapani	
		Kharapani	
		Tootupani	
		Hanstari Teer	
		Ponidhar	
		Deorighat	
		Kharapathar	
		Central Potato Research Station, Kufri	
		Central Potato Research Station, Fagu	
		Rohru Block	
Chopal Block			
Jubbal Block			
2.	Sirmour	Kheradhar	
3.	Mandi	Phuladhar	
4.	Chamba	Ahla	
5.	Kullu	Chowai	
6.	Kangra	Rajunda	

Uttarakhand		
1.	Pithoragarh	Balati, Munshiyari
		Tiksain, Munshiyari
		Govt. Potato Farm, Balati
		Govt. Potato Farm, Tiksain
2.	Tehri	Rani Chauri, College of Forestry Farm
		Horticulture Farm, Dhanaulti
		Agriculture Farm, Dhanaulti
3.	Chamoli	Govt. Potato Farm, Ramani
4.	Almora	Patoria
5.	Nainital	Malla Ramgarh Farm
Jammu & Kashmir		
1.	Ramban	Natha top
2.	Rajauri	Kandi Buddhal
3.	Shopian	Sedew
		Govt. Potato Seed Development Farm, Near Village Chhotipora, Sedew, Shopian
4.	Jammu	Govt. Potato Seed Production Farm, Natha Top, Jammu
		Potato Seed Development Farm, Kandi Buddhal

[F. No. 8-144/2018-PP-II]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.5280 dated 12th October, 2018 and was last amended vide number S.O. 5642 dated 2.11.2018